प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड द्वितीय, बदायूँ।

सेवा में,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, पार्क रोड,
लखनऊ– 226001

पत्रांक :– /न.ख.द्वि.ब/नीलामी–2/2022–23 दिनांकः–

विषयः– निष्प्रयोज्य सामाग्री की नीलामी सूचना संख्याः– 02/2022–23 को प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस खण्ड के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य सामग्री की विज्ञाप्ति संख्या 02/2022– 23 नीलामी दिनांक 24.08.2022 की सूचना 6 प्रतियों में सी.डी. सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि इस सूचना को हिन्दी के दो सर्वाधिक पढ़े जाने वाले अथवा निम्नानुसार बरेली मण्डल के अन्तर्गत प्रचलित प्रमुख समाचार पत्रों में एक दिन के अन्तराल से दो बार प्रकाशन कराने की कृपा करें। तथा आपसे अनुरोध है कि इस नीलामी सूचना को विभागीय वेवसाइट पर **www.idup.gov.in** पर भी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

1. 6 प्रतियों में ।
2. विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु सीडी में 01 न0

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड– द्वितीय, बदायूँ

पत्रांक :– /न.ख.द्वि..ब/नीलामी–2/2022–23 दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) ,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक **–446/सज्जा–1/यू–3/नि0सा0 निस्तारण/ दि0–04.07.2022** के कम में।
2. मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) ,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बदायूँ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद, बदायूँ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली।
6. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को एक नग सीडी इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त नीलामी विवरण को बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड प्रथम/तृतीय/निर्माण खण्ड, बदायूँ।
8. सहायक आयुक्त सेक्टर–1, वाणिज्य कर विभाग, बरेली।
9. खण्डीय लेखाधिकारी,नलकूप खण्ड– द्वितीय, बदायूँ।
10. सहायक अभियन्ता –प्रथम, नलकूप खण्ड–2, बदायूँ को इस निर्देश के साथ कि नीलामी की तिथि के पूर्व नीलामी हेतु अंकित सामान को केन्द्रीय भण्डार में इस प्रकार व्यवस्थित करायें, कि नीलामी में भाग लेने वाले सामग्री का अवलोकन कर सकें।
11. समिति के समस्त सदस्यों हेतु।
12. नोटिस बोर्ड हेतु।
13. नीलामी पत्रावली हेतु।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड– द्वितीय, बदायूँ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड द्वितीय, बदायूँ।

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या– 02/2022–23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नलकूप खण्ड द्वितीय, बदायूँ के अंतर्गत विविध निष्प्रयोज्य सामग्री जिनका विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है, ''जहॉ है, जैसा है'' के आधार पर नीलामी गठित समिति द्वारा दिनॉक 24.08.2022 को 11:00 बजे पूर्वान्ह की जायेगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति /फर्म नीलामी प्रकाशन के उपरान्त सामग्री का अवलोकन करना चाहें तो दिनॉक 22.08.2022 से 23.08.2022 में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कर सकते हैं। नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् निष्प्रयोज्य सामग्री के सम्बन्ध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति अपना मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, मूल जी0एस0टी0 नम्बर तथा प्राधिकार पत्र दिखाकर तथा जमानत धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो अधिशासी अभियन्ता ,नलकूप खण्ड द्वितीय, बदायूँ के नाम देय हो) के रूप में जमा कर निविदा प्रपत्र दिनॉक 22.08.2022 से 23.08.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, बदायूँ से क्रय कर सकते है। वांछित अभिलेख एवं जमानत धनराशि जमा करने पर अभिलेख जॉच उपरान्त टोकन उसी समय निर्गत किया जायेगा।

नीलामी हेतु सामग्री का विवरणः–

क0 स0	लाट न0	सामग्री का नाम	मात्रा (मी0 टन में)	नीलामी का स्थान	नीलामी की तिथि	नीलामी का समय	नीलामी हेतु जमानत धनराशि	आवेदन पत्र का मूल्य
1.	1	जला हुआ पी0वी0सी0 कोटेड तॉबे का तार	1.00 एम.टी.	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, बदायूँ परिसर	24.08.2022	11.00 पूर्वान्ह	46500.00	100.00 (जी0एस0टी0 सहित)

नीलामी से सम्बन्धित समस्त शर्ते कार्यालय नलकूप खण्ड द्वितीय, बदायूँ से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

(यश कुमार गर्ग)
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड– द्वितीय,बदायूँ

नीलामी के समय निम्नांकित नियमो/शर्तों का पालन आवश्यक होगा।

<u>नियम/शर्ते</u> →

1. समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये नीलामी निरस्त कर सकती है।
2. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट **(अनुसूचित/राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी)** हेतु प्रत्येक मद/ सामग्री के सम्मुख अंकित जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट ही मान्य होगा, जो कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड– द्वितीय, बदायूँ के नाम देय होगा।
3. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/ फर्म द्वारा धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट बोली हेतु **"प्रत्येक व्यक्ति/ फर्म द्वारा केवल एक ही बैंक ड्राफ्ट"** मान्य होगा। किसी व्यक्ति/फर्म द्वारा अपने नाम से निर्गत एक से अधिक धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अन्य व्यक्ति/ फर्म के आवेदन के साथ जमा करने की स्थिति में उन दोनों व्यक्ति/दोनों फर्मो को टोकन निर्गत नही किया जायेगा/ निर्गत टोकन वापस ले लिया जायेगा/ टोकन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. सार्वजनिक नीलामी वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड– 5 भाग– 1 के अधीन होगी। नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर उच्चतम बोली दाता द्वारा बोली की धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जमानत धनराशि के रूप में जमा करनी होगी।
5. नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर शेष धनराशि एक मुश्त जमा करानी होगी तथा नीलामी की बोली की सम्पूर्ण राशि पर नियमानुसार देय जी0एस0टी0 की धनराशि चालान द्वारा जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी, तदोपरान्त ही सामग्री हस्तगत की जायेगी।
6. नीलामी की बोली की सम्पूर्ण धनराशि एवं उस पर नियमानुसार देय जी0एस0टी0 की धनराशि समय से जमा न करने पर पूर्व में जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
7. सम्पूर्ण धनराशि (बोली की धनराशि एवं उस पर देय जी0एस0टी0/ वैट आयकर की धनराशि) जमा करने के एक सप्ताह के अंदर सामग्री अपने व्यय पर उठानी होगी। ऐसा न करने पर नीलामी की बोली की धनराशि का 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से किराया एवं देखभाल प्रभार अतिरिक्त जमा करने पर ही सामग्री उठायी जा सकेगी।
8. उच्चतम बोली दाता को छोड़कर नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले शेष व्यक्तियों की जमानत राशि (बैंक ड्राफ्ट) बोली समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
9. नीलामी के पश्चात् यदि नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दी जाती है, तो उच्चतम बोली दाता के द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी तथा इस स्थिति में बोली दाता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा ब्याज आदि देय नहीं होगा।
10. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को अपना **मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, मूल जी0एस0टी0एन0 नम्बर प्रपत्र दिखाकर तथा जमानत धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो अधिशासी अभियन्ता ,नलकूप खण्ड द्वितीय, बदायूँ के नाम देय हो) के रूप मे जमा कर नीलमी टोकन दिनॉक 22.08.2022 से 23.08.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, बदायूँ से प्राप्त कर सकते है।** वांछित अभिलेख एवं जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त टोकन उसी समय निर्गत किया जायेगा।
11. **किसी भी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को रू0–10 के जुडिशियल स्टॉम्प पैड पर प्राधिकार पत्र लाना आवश्यक होगा। अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्राधिकार पत्र मूल रूप में संलग्न न करने की स्थिति में नीलामी हेतु टोकन निर्गत नही किया जायेगा।**
12. विक्रय किये गये आवेदन पत्र का मूल्य वापस/ समायोजित नहीं होगा। नीलामी में किसी भी प्रकार के विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में उसका निस्तारण अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल, बरेली/ अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, बदायूँ द्वारा किया जायेगा, जोकि अन्तिम एवं समस्त बोली दाता को मान्य होगा।
13. **मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, मूल पैन कार्ड एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र लाना आवश्यक है।** वांछित प्रपत्रों की छायाप्रति (प्रमाणित) जमा कराने के पश्चात् ही समिति द्वारा उपलब्ध रजिस्टर में नाम एवं पता अंकित कर हस्ताक्षर किये जायेंगे तदोपरान्त टोकन प्राप्त करना होगा, तत्पश्चात् ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकेगा तथा विज्ञप्ति में अंकित सामग्री की बोली लगाने का अधिकार प्राप्त होगा।
14. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि नीलामी के दिनांक **24.08.2022** को बोली की व्यवहारिक दरों का संज्ञान लेते हुए बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सके।
15. केन्द्रीय सज्जा संगठन तेलीबाग, लखनऊ द्वारा निर्धारित सामग्री की दरों के अनुरूप ही बोली की न्यूनतम धनराशि से बोली लगाये जाने की शुरूआत की जायेगी। केन्द्रीय सज्जा संगठन द्वारा निकाली गई उक्त विज्ञप्ति समिति के पास उपलब्ध रहेगी ,जिसका अवलोकन बोली दाताओं द्वारा नीलामी प्रक्रिया शुरू किये जाने के पूर्व किया जा सकेगा।
16. यदि नीलामी की तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो नीलामी अगले कार्यदिवस में होगी।
17. नीलामी में भाग लेने के व्यक्तियों द्वारा नीलामी स्थल पर किसी प्रकार का विवाद इत्यादि करने पर सुसंगत धाराओं में प्रथिमिकी दर्ज कराते हुये नीलामी में भाग लेने हेतु भविष्य के लिये प्रतिबन्धित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड– द्वितीय, बदायूँ